सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

10 वैशाख, 1948 (श०)

संख्या - 203 राँची, गुरूवार, 30 अप्रैल, 2026 (ई०)

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग

(नागर विमानन प्रभाग)

अधिसूचना

16 अप्रैल, 2026

अधिसूचना सं.-ना.वि.-VII-JFI/ADM-04/2023/212

विषय:-मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग), झारखण्ड सरकार के अंतर्गत झारखण्ड फ्लाईंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से दुमका हवाई अड्डा पर संचालितCommercial Pilot's License With Multi Engine Rating प्रशिक्षण अकादमी में नामांकन प्रक्रिया तथा प्रवेश/नामांकन में छात्रवृत्ति के लाभ के लिए अभ्यर्थिता के निर्धारण के संबंध में।

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग), झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-800, दिनांक-23.11.2023 की कंडिका-3 में दुमका हवाई अड्डा पर स्थित **Commercial Pilot's License With Multi Engine Rating** प्रशिक्षण अकादमी में नामांकन के संबंध में निम्न निर्णय लिया गया है:-

“प्रथम बैच में प्रवेश हेतु निर्धारित 30 प्रशिक्षुओं में से 15 प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण राज्य सरकार द्वारा शत-प्रतिशत छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से संपोषित होगा। शेष 15 प्रशिक्षुओं का चयन राज्य सरकार के सरकारी संस्थानों के व्यवसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रावधानानुसार इस संकल्प में वर्णित निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।”

2- उक्त संकल्प की कंडिका-7.(i) में अंकित है कि “प्रशिक्षण केन्द्र में नामांकन हेतु नागर विमानन प्रभाग द्वारा written exam, Pilot aptitude/Psychometric test तथा Viva/Interview का आयोजन कराते हुए समेकित मेधासूची तैयार की जाएगी।’

संकल्प की कंडिका-7(ii) में 30 प्रशिक्षुओं के आरक्षण कोटिवार नामांकन एवं 15 प्रशिक्षुओं के शत-प्रतिशत छात्रवृत्ति योजना के संबंध में निम्न निर्णय संसूचित है-

"कुल 30 प्रशिक्षुओं में से मेधाक्रम के अनुसार प्रभावी आरक्षण के प्रावधानों का पालन करते हुए 15 प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण राज्य सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग) झारखण्ड के द्वारा शत-प्रतिशत छात्रवृति योजना के माध्यम से संपोषित होगा।’

3- उक्त प्रावधानों के आलोक में प्रशिक्षुओं के नामांकन तथा किन 15 प्रशिक्षुओं को शत-प्रतिशत छात्रवृति योजना का लाभ दिया जाना है के चयन के संबंध में स्पष्ट प्रावधान नहीं रहने के कारण जिन 15 प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण राज्य सरकार द्वारा शत-प्रतिशत छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से संपोषित होगा, की अभ्यर्थिता एवं चयन प्रक्रिया को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

4- अत: सम्यक् विचारोपरान्त मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग), झारखण्ड सरकार के अंतर्गत झारखण्ड फ्लाईंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से दुमका हवाई अड्डा पर संचालित Commercial Pilot's License With Multi Engine Rating प्रशिक्षण अकादमी में प्रवेश/नामांकन की दो (02) प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:-

A. जिन 15 प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण राज्य सरकार द्वारा शत-प्रतिशत छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से संपोषित होगा, उनका चयन उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड के अंतर्गत झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, राँची (JCECEB) के माध्यम से परीक्षा आयोजित कर (केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासियों के लिए),

तथा

B. अवशेष जिन 15 प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण उनके स्वयं के पूर्ण शुल्क भुगतान केआधार पर किया जाना है, उनका चयन नागर विमानन निदेशालय, भारत सरकार द्वारा Commercial Pilots License के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में से आधे या उससे अधिक paper उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं में से।

5- शत-प्रतिशत छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से संपोषित नामांकन हेतु प्रक्रिया- Commercial Commercial Pilots License With Multi Engine Rating प्रशिक्षण अकादमी में जिन 15 प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण राज्य सरकार द्वारा शत-प्रतिशत छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से संपोषित होगा, उनके चयन हेतु प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की प्राप्ति/जाँच, परीक्षा का आयोजन एवं मेधा सूची तैयार कर झारखण्ड फ्लाईंग इंस्टीट्यूट को उपलब्ध कराने हेतु उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड के अंतर्गत झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, राँची (JCECEB) को प्राधिकृत किया जाता है। यह चयन निम्न प्रकार से किया जाएगा:-

i. 15 प्रशिक्षुओं को दिये जाने वाले शत-प्रतिशत छात्रवृत्ति योजना का लाभ झारखण्ड राज्य में लागू आरक्षण नीति के अनुरूप प्रदान किया जाएगा। इसका लाभ केवल झारखण्ड के स्थायी निवासियों को मिलेगा।

ii. उक्त 15 प्रशिक्षुओं को छात्रवृत्ति का लाभ मेधाक्रम में उच्च वरीयता क्रम के अनुसार निम्नवत् प्रदान किया जाएगा:-

क्र.	**कोटि**	**छात्रवृत्ति हेतु कोटिवार सीटों की अनुमान्यता (संबंधित कोटि के मेधाक्रम में)**
1.	अनारक्षित	**07**
2.	अनुसूचित जनजाति	**04**
3.	अनुसूचित जाति	**01**
4.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग **(**अनुसूची **1)**	**01**
5.	पिछड़ा वर्ग **(**अनुसूची **2)**	**01**
6.	आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग	**01**
	कुल	**15**

iii. शत-प्रतिशत छात्रवृत्ति योजना के आधार पर अभ्यर्थियों के लिए लिखित प्रवेश परीक्षा में (Objective type questions only and No negative marking) निम्नांकित विषयों के प्रश्न होंगे :-

Sl. No.	**Subject**	**No. of Questions**	**Marks**	**Time**
1.	**General English**	**50**	**100**	**02:15 hrs.**
2.	**Mathematics**	**25**	**50**	
3.	**Physics**	**25**	**50**	
4.	**Reasoning**	**25**	**50**	
5.	**Current Affairs**	**25**	**50**	
	Total	**150**	**300**	

प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम **10+2 level** का होगा। लिखित परीक्षा के उपरांत प्रारंभिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों का **Psychometric Test/Pilot Aptitude test** होगा जो कि **Qualifying** होगा। तदोपरांत **50** अंक का साक्षात्कार लिया जाएगा।

उपरोक्त परीक्षा के परिणाम हेतु अंतिम मेधा सूची लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के अंकों को जोड़कर **(**कुल **350** अंक**)** बनायी जायेगी**,** परंतु सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम **50%** अहर्तांक **(qualifying marks)** अनिवार्य होगा। सामान्य से अतिरिक्त किसी भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अहर्तांक में **05%** की छूट प्रदान की जाएगी।

iv. शत-प्रतिशत छात्रवृत्ति योजना के आधार पर नामांकन हेतु परीक्षा के संबंध में झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (JCECEB) का कार्य निम्नवत् होगा:

a) नामांकन हेतु सूचना का प्रकाशन कर प्रश्नपत्र तैयार करते हुए प्रवेश परीक्षा आयोजितकरना।

b) नामांकन हेतु प्राप्त आवेदनों की Scrutiny कर Shortlist तैयार करना।

c) नामांकन हेतु प्राप्त सभी आवेदनों की Scrutiny कर उनकी शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आलोक में मेधा क्रम के अनुसार रिक्तियों से 25 गुणा अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा हेतु Shortlist किया जाएगा। Short listing के लिये मेधा क्रम तैयार करने के क्रम में 10+2 परीक्षा में Physics, Chemistry, Mathematics (PCM)+English के प्राप्तांक को आधार माना जाएगा।

d) झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (JCECEB) द्वारा उपरोक्त कंडिका-5(iii) में निर्धारित विषयवस्तु/पाठ्यक्रम/अंक संरचना के आलोक में लिखित परीक्षा का आयोजन कर Seat के पाँच गुणा अभ्यर्थियों को Psychometric test/ Pilot Aptitude test एवं साक्षात्कार के लिए प्रारंभिक रूप से चयनित किया जायेगा।

e) Psychometric test/ Pilot Aptitude test एवं साक्षात्कार के लिए प्रारंभिक रूप से चयनित सभी अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों का Verification झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा किया जायेगा।

f) झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा विषय विशेषज्ञ की सेवा प्राप्त करते हुए Verification के उपरांत सुयोग्य अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर Psychometric test/ Pilot Aptitude test एवं साक्षात्कार संपन्न कराया जाएगा।

g) उक्त हेतु गठित समिति/panel में नागर विमानन प्रभाग तथा झारखण्ड फ्लाईंग इंस्टीट्यूट से एक-एक पदाधिकारी को शामिल किया जाएगा।

h) वांछित योग्यताधारी अभ्यर्थियों में से अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के परीक्षाफल (लिखित एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को जोड़कर) को तैयार कर झारखण्ड संयुक्त प्रवेश

प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा परीक्षाफल को प्रकाशित प्रकाशित किया जायेगा। इसमें कुल 15 अभ्यर्थी कोटिवार Select होंगे तथा शेष 15 को Waiting List में रखा जाएगा।

i) झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा विज्ञापन प्रकाशित करने के 01 माह की समय-सीमा के अंतर्गत परिणाम प्रकाशित कर नागर विमानन प्रभाग को नामांकन हेतु सुयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों की सूची प्रतीक्षा सूची के साथ उपलब्ध करा दी जायेगी।

v. शत-प्रतिशत छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत केवल वही अभ्यर्थी आवेदन के पात्र होंगे, जिनकी पारिवारिक आय की अधिकतम सीमा रू. 12 (बारह) लाख वार्षिक हो।

vi. शत-प्रतिशत छात्रवृत्ति योजना के आधार पर प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रु. 12,000/- होगा। SC/ST/BC-I/BC-II एवं EWS के वर्गों के अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क निःशुल्क रहेगा।

6- पूर्ण शुल्क भुगतान के आधार पर नामांकन हेतु प्रक्रिया- अवशेष जिन 15 प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण उनके स्वयं के पूर्ण शुल्क भुगतान के आधार पर किया जाना है उनके चयन हेतु झारखण्ड फ्लाईंग इंस्टीट्यूट, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग), झारखण्ड सरकार को प्राधिकृत किया जाता है। यह चयन निम्न प्रकार से किया जाएगा:-

i. नागर विमानन निदेशालय, भारत सरकार द्वारा Commercial Pilots License के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम (कुल Paper-Aviation Meteorology, Air Regulation, Aircraft and Engines, Technical Specific Paper, Technical Performance Paper, Radio Telephonic) में से न्यूनतम् 04 papers उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं का निर्धारित शुल्क भुगतान केआधार पर झारखण्ड फ्लाईंग इंस्टीट्यूट द्वारा सीधे नामांकन लिया जा सकेगा।

ii. पूर्ण शुल्क भुगतान की सीटों पर भी राज्य सरकार के आरक्षण प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

iii. उक्त 15 प्रशिक्षुओं का नामांकन निम्न कोटिवार किया जाएगा:-

क्र.	**कोटि**	**कोटिवार सीटों की अनुमान्यता**
1.	अनारक्षित	**07**
2.	अनुसूचित जनजाति	**04**
3.	अनुसूचित जाति	**01**
4.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग **(**अनुसूची **1)**	**01**
5.	पिछड़ा वर्ग **(**अनुसूची **2)**	**01**
6.	आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग	**01**
	कुल	**15**

iv. पूर्ण शुल्क भुगतान की सीटों पर नामांकन हेतु झारखण्ड फ्लाईंग इंस्टीट्यूट द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। प्राप्त आवेदनों का DGCA Paper Result sheet के आधार पर scrutiny कर Class-II Medical Certificate वाले अभ्यर्थियों का Psychometric Test/Pilot Aptitude Test झारखण्ड फ्लाईंग इंस्टीट्यूट द्वारा लिया जाएगा। सफल अभ्यर्थियों का झारखण्ड फ्लाईंग इंस्टीट्यूट द्वारा नामांकन लिया जा सकेगा।

7- Commercial Pilot's License Training with Multi Engine Type rating में नामांकन हेतु अन्य आवश्यक शर्तें निम्नवत् होगी-

i. Educational Qualification :-

- **Minimum age 17 years at the time of joining the course.**
- **10+2 or equivalent with Physics, Mathematics and English.**
- **Class-II Medical.**
- **Minimum 50% marks in English, Physics and Mathematics in 10+2 or equivalent examination in each subject individually (5% relaxation to SC/ST/OBC/EWS candidates).**
- **Minimum of 50% total aggregate marks in 10+2 or equivalent examination (5% relaxation to SC/ST/OBC/EWS candidates).**

ii. Height - Minimum 158 cms and Maximum 185 cms.

iii. आरोग्य प्रमाण-पत्र (Medical):- Selected candidates can join with valid Class-II Medical Certificate; however it is necessary to clear Class-I Medical Subsequently for issuance of CPL License with DGCA.

8- आरक्षण:- आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र भरते समय कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा तत्समय प्रभावी परिपत्र यथा- अधिसूचना, संकल्प आदि में निर्धारित विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारियों के स्तर से निर्गत जाति/आय/स्थानीयता प्रमाण-पत्र एवं Non-Creamy Layer प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।

9- नामांकन में रिक्ति उत्पन्न होने पर विशेष परिस्थिति में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा समय-समय पर शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का विनियमन से संबंधित निर्गत विहित प्रावधानों के आलोक में रिक्त सीटों को भरने के लिए झारखण्ड फ्लाईंग इंस्टीट्यूट, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग), झारखण्ड सरकार सक्षम होगा।

10- विमानों की संख्या में बढ़ोतरी तथा प्रशिक्षुओं की अर्हत्ता पूर्ण होने की स्थिति में सोसाईटी (झारखण्ड फ्लाईंग इंस्टीट्यूट) को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से Commercial Pilot's License Training में 30 प्रशिक्षुओं के अतिरिक्त सीटों पर पूर्ण शुल्क भुगतान के आधारपर नामांकन करने हेतु झारखण्ड फ्लाईंग इंस्टीट्यूट सक्षम प्राधिकार होगा। नामांकन प्रक्रिया से संबंधित

आवश्यकतानुसार दिशा-निर्देश निर्गत करने का सक्षम प्राधिकार मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग), झारखण्ड सरकार होगा।

11- विभागीय संकल्प सं.-800, दिनांक-23.11.2023 को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

12- उपरोक्त प्रस्ताव पर विभागीय संलेख ज्ञापांक-199, दिनांक-12.03.2026 के क्रम में मंत्रिपरिषद् की दिनांक-12.03.2026 को संपन्न बैठक के मद संख्या-36 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (लेखा एवं हक.), झारखण्ड, राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(वंदना दादेल),

अपर मुख्य सचिव

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 203 - 50